

15
परिवारिक अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर।
अभियुक्तगण अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।
प्रकरण में अभियुक्तगण की उप० हेतु कई बार जारी गिरफ्तारी
वारंट जारी किए जा चुके हैं कि अभियुक्तगण उसके समावित पतो पर
नहीं मिला है और कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है।
अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख
किये जाने पर भी उप० नहीं हुआ है।
17/10/16

उ० के० राठौर
वायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहाट जिला बिहार

17/10/16

परिवारिक अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर।

अभियुक्तगण अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्तगण की उप० हेतु कई बार जारी गिरफ्तारी
वारंट जारी किए जा चुके हैं कि अभियुक्तगण उसके समावित पतो पर
नहीं मिला है और कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है।
अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख
किये जाने पर भी उप० नहीं हुआ है।

परिवारिक अधिवक्ता ने प्रकरण में अभियुक्तगण का स्थाई गिर०
वारंट जारी किए जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता
के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्तगण नहीं मिला है और
उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार
आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु
अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द० प्र० स०
की धारा 299 के अधीन अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से
कार्यवाही की जाये।

अभियुक्तगण को स्थायी गिरफ्तारी वारंट लाल स्याही से मय
जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ
ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये
कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

उ० के० राठौर
Judicial Magistrate Class
Gohat District (M.P.)